Government of India
Ministry of Railways
Railway Board

RBA No.72/2020
GST Circular No.41/2020

No. 2016/AC-II/1/6/Main (Pt.III)

4th September,2020

General Managers,
All Zonal Railway/Production Units

Sub:Directives with respect to compliances to be undertaken prior to 30th September, 2020

Ref:Railway Board's letter dated 1st September, 2020 (RBA No. 70/2020)

As per CGST Act, 2017 certain activities are not allowed to be performed beyond the month of September, 2019, due to time limit prescribed in the Act/Rules. Following activities are therefore, required to be completed on or before 30.9.2020, to ensure GST compliances.

1. **Availment of Input Tax Credit (ITC)**

   1.1. All the invoices and debit notes pertaining to **Financial Year (F.Y.) 2019-20** on which ITC has not been availed i.e. bills dated FY 2019-20 which are yet to be booked in IPAS or any other application group, shall be checked and uploaded so as to ensure such eligible ITC is availed latest by 30thSeptember, 2020. [Section 16(4) of CGST Act, 2017].

   1.2. Further, in respect of ITC for invoices dated F.Y. 2019-20 which could not be availed due to mismatch with FORM GSTR-2A, action need to be taken as per Board's letter referred above. (RBA No.70/2020)

2. **Reporting of details of credit notes in FORM GSTR-1 & FORM GSTR-3Bfor tax period of September**

   2.1. Any cancelled ticket, railway receipt or any other document against which refund has been issued during **F.Y. 2019-20**, details of which have not been reported yet, shall be reported under FORM GSTR-1 and FORM GSTR-3B for September 2020, so that the respective tax liability gets adjusted.

   2.2. Further, any credit note against invoices raised during **F.Y. 2019-20**but not yet issued, the same shall be issued prior to 30th September, 2020 and thereafter be reported in FORM GSTR-1 with adjustment of GST under FORM GSTR-3B for September, 2020.

3. **Reporting of details of debit notes in FORM GSTR-1 & FORM GSTR-3B for tax period of September**

3.1. Debit Note with respect to the outward supplies made during **F.Y. 2019-20** shall be raised on or before 30th September, 2020 and thereafter be reported under FORM GSTR-1 with payment of GST under FORM GSTR-3B for the month of September,2020 so as to ensure availment of credit by the recipient, wherever applicable.

4. **Credit attributable to exempted supplies- Finalization of ITC reversed on monthly basis (Rule 42/Rule 43 of CGST Rules,2017)**

4.1. ITC attributable to supply of exempted goods or services, which have been reversed on a monthly basis during **F.Y. 2019-20**shall be finalized latest by 30th September 2020.

4.2. If the amount reversed on monthly basis is in excess of the finally calculated amount, the excess reversed credit shall be claimed by 30th September 2020.

4.3. However, if the amount reversed on monthly basis is short of the amount finally calculated, the difference in amount shall be added to the output tax liability in FORM GSTR- 3B to be filed for the month of September, 2020 and such differential amount shall be paid with interest @ 18% p.a. for the period beginningfrom 1stApril,2020 till date of payment.

5. **Filing of annual return under FORM GSTR-9**

5.1. Pursuant to Notification No. 41/2020-Central Tax dated 5th May, 2020, the time limit for filing of annual return for **F.Y. 2018-19** was extended from December'2019 to September, 2020.As a result, the same needs to be filed by 30thSeptember, 2020 so as to ensure adherence to compliances.

All the Principal Railways may ensure compliance of the above in consultation with their GST Consultants. CRIS is also requested to provide necessary assistance in this regard. This issues with the approval of competent authority.

(V.Prakash)
Joint Director/Accounts
Railway Board

Copy to:-

1. All PFAs, Zonal Railways and Production Units,
2. EDs, ED level empowered Committee, Railway Board
3. All Directors, Director level GST Cell, Railway Board
4. MD/IRFC
5. GM/Finance/GSTM, GM/AIMS, CRIS

भारत सरकार/Government of India

रेल मंत्रालय/Ministry of Railways

रेलवे बोर्ड/Railway Board

आरबीए सं. 72/2020

जीएसटी परिपत्र सं. 41/2020

सं. 2016/एसी-II/1/6/मेन(पार्ट.III) 4 सितंबर, 2020

महाप्रबंधक,

सभी ज़ोनल रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय: 30 सितंबर, 2020 से पहले किए जाने वाले अनुपालनों के संबंध में निदेश ।

संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दिनांक 1 सितंबर, 2020 का पत्र (आरबीए सं. 70/2020)

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अनुसार, अधिनियम/नियमों में निर्धारित समय-सीमा के कारण कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिन्हें सितंबर माह, 2019 के बाद नहीं किया जा सकता। अतः, जीएसटी का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों को 30.09.2020 तक या इससे पहले पूरा किया जाना अपेक्षित है।

1. इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लेना

1.1 वित्त वर्ष 2019-20 से संबंधित सभी बीजक और डेबिट नोट जिन पर आईटीसी नहीं लिया गया है अर्थात् वित्त वर्ष 2019-20 की तारीख वाले बिल, जिन्हें अभी भी आईपीएएस अथवा किसी अन्य एप्लीकेशन ग्रुप में बुक किया जाना है, की जांच की जाए और अपलोड किया जाए ताकि ऐसे पात्र आईटीसी का 30 सितंबर, 2020 तक लिया जाना सुनिश्चित किया जा सके। [सीजीएसटी अधिनियम, 2017 का खंड 16(4)]

1.2 इसके अलावा, वित्त वर्ष 2019-20 की तारीख वाले उन बीजकों के लिए आईटीसी के संबंध में जिन्हें फॉर्म जीएसटीआर-2ए के साथ मिलान न होने के कारण नहीं लिया जा

सका, पर भी बोर्ड के उक्त संदर्भित पत्र (आरबीए सं. 70/2020) के अनुसार कार्रवाई की जाए ।

2. सितंबर की कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी में क्रेडिट नोटों का विवरण देना

2.1 कोई भी रद्द टिकट, रेल रसीद या अन्य कोई दस्तावेज़ जिस पर वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिदाय दिया गया है और उसका विवरण अभी तक नहीं दिया गया है, को सितंबर, 2020 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी के अंतर्गत रिपोर्ट किया जाए ताकि संबंधित कर देयता समायोजित की जा सके।

2.2 इसके अलावा, वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान तैयार किए गए बीजकों के संबंध में क्रेडिट नोट जिन्हें अभी तक जारी नहीं किया गया है, को 30 सितंबर, 2020 से पहले जारी किया जाए और तत्पश्चात् सितंबर माह 2020 के फॉर्म जीएसटीआर-3बी के अंतर्गत जीएसटी समायोजित करने के साथ फॉर्म जीएसटीआर-1 में रिपोर्ट किया जाए ।

3. सितंबर की कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी में डेबिट नोटों का विवरण देना

3.1 वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान की गई जावक आपूर्तियों के संबंध में डेबिट नोट 30 सितंबर, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत किए जाएं और तत्पश्चात् सितंबर, 2020 के फॉर्म जीएसटीआर-3बी के अंतर्गत जीएसटी के भुगतान के साथ फॉर्म जीएसटीआर-1 में रिपोर्ट किया जाए ताकि प्राप्तकर्ता द्वारा क्रेडिट, जहां कहीं भी लागू हो, प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जा सके ।

4. छूट प्राप्त आपूर्तियों के लिए आरोप्य क्रेडिट - मासिक आधार पर लौटायी गई आईटीसी को अंतिम रूप देना । (सीजीएसटी नियम, 2017 का नियम 42/नियम 43)

4.1 छूट प्राप्त माल एवं सेवाओं की आपूर्तियों के लिए आरोप्य क्रेडिट जिन्हें वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान मासिक आधार पर लौटाया गया है, को 30 सितंबर, 2020 तक अंतिम रूप दे दिया जाए।

4.2 यदि मासिक आधार पर लौटायी गई राशि अंतिम रूप से गणना की गई राशि से अधिक है तो अतिरिक्त लौटाए गए क्रेडिट पर 30 सितंबर, 2020 तक दावा किया जाए।

4.3 बहरहाल, यदि मासिक आधार पर लौटायी गई राशि अंतिम रूप से गणना की गई राशि से कम है तो राशि में अंतर को सितंबर, 2020 में प्रस्तुत किए जाने वाले जीएसटीआर-3बी में आउटपुट टैक्स देयता में जोड़ दिया जाए और राशि में ऐसे अंतर का भुगतान 1 अप्रैल, 2020 से प्रारंभ होने वाली अवधि से लेकर भुगतान की तारीख तक 18% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित किया जाए।

5. फॉर्म जीएसटीआर-9 के अधीन वार्षिक रिटर्न भरना

5.1 दिनांक 5 मई, 2020 की अधिसूचना सं.41/2020-केंद्रीय कर के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिटर्न भरने की समय-सीमा को दिसंबर, 2019 से बढ़ाकर सितंबर, 2020 किया गया था। परिणामस्वरूप, उक्त को 30 सितंबर, 2020 तक भरा जाना अपेक्षित है ताकि अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

सभी मुख्य रेलें अपने जीएसटी परामर्शदाताओं के परामर्श से उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें। क्रिस से भी अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक सहायता प्रदान करे। इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(वी.प्रकाश)
संयुक्त निदेशक/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. सभी मुख्य वित्त सलाहकार, ज़ोनल रेलें और उत्पादन इकाइयां,
2. कार्यपालक निदेशक, कार्यपालक निदेशक स्तर की सशक्त समिति, रेलवे बोर्ड
3. सभी निदेशक, निदेशक स्तर का जीएसटी सेल, रेलवे बोर्ड
4. प्रबंध निदेशक/आईआरएफसी
5. महाप्रबंधक/वित्त/जीएसटीएम, महाप्रबंधक/एआईएमएस, क्रिस